

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE TO WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से

BY ORDER OF

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

कमलेश कुमार

कमलेश कुमार मीना
KAMLESH KUMAR MEENA

अवर सचिव (पी एस पी-ऑपरेशन एवं सीपीपीएफ)
Under Secretary (PSP-Operations & CPPF)

विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

Ministry of External Affairs
New Delhi



भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA



सत्यमेव जयते

पासपोर्ट
PASSPORT

इस पासपोर्ट में 36 पृष्ठ हैं। This Passport contains 36 pages.



U 726 1128



10/08/2021


F

09/08/2026

U7261128<7IND1511103F26080972063497267121<48

U7261128

83118370



श्रीग्री / VISA

श्रीग्री / VISA

0726 1123

8211 9070





U7261128

पिता / कानूनी अभिभावक का नाम / Name of Father / Legal Guardian

NAGA BABU PANGULURI

माता का नाम / Name of Mother

NAGA LAKSHMI PANGULURI

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

H.NO.1-158 KOMMURU VILLAGE**KAKUMANU MANDAL, GUNTUR****PIN: 522235, ANDHRA PRADESH, INDIA**

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

फाइल नं. / File No.

VJ2063497267121

U726 1123

001123456789

Remarks / OBSERVATION

REMARKS / IMPORTANT INFORMATION

पंजीकरण

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट में अपना पंजीकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट प्राधिकारी से इसके धारक को यदि कोई सूचना मिलती है जिसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी शामिल है तो उसका तुरंत अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुम हो जाने, धोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में निकटतम पासपोर्ट प्राधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विदेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/पोस्ट और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बाद ही डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.